१	२	३	४	५	
कोटा	डिगोद	पार्वकियां	३१७	१३	१८
			४३५।३१८	९	११
			३४८।१	१	२
			४३४।३४९	५	१६
			३५२	२०	७
			३५४	३	६
			३५५	२०	३
			३५९	६	१०
			३६०	३६	१
			३६४	२	४
			४३७।३६४	३	१५
			३६५	२	८
			४७४।३६७	२	७
			३६८	१४	२
			३६९	४	८
			३७०	५	७
			३७२	१२	२
			३७३	१	५
			३७४	२	१६
			३७९	०	१८
	योग ..		३५	२८८	७

जयपुर, अक्तूबर २७, १९५५

संख्या एफ. १३(१६२) राज(क) ५५:—चूंकि राजस्थान सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर एक सार्वजनिक कार्य, अर्थात् एग्रीकल्चर स्कूल सूरजपोल के लिए भूमि के लिये जाने की आवश्यकता होने की संभावना है, अतः इसके द्वारा विज्ञापित किया जाता है, कि निम्न वर्णित स्थान की भूमि को उपर्युक्त कार्य के लिए लेने की संभावना है।

यह विज्ञप्ति राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम १९५३, की धारा ४ के प्रावधानों के अन्तर्गत इससे सम्बन्ध रखने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये निकाली गई है।

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार इस समय इस कार्य में लगे हुए पदाधिकारियों को उनके सेवकों व श्रमिकों सहित उक्त स्थान की किसी भी भूमि पर प्रवेश करने तथा पैमाइश करने तथा उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत समस्त अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

विस्तृत विवरण

जिला	तहसील	स्थान	क्षेत्रफल
उदयपुर	उदयपुर	स्कूल होस्टल की सीमा में भीलों की झोंपड़ियां	२६४० वर्ग फिट

जयपुर, अक्तूबर १८, १९५५

विषय:—गाडोलिया लुहारों को भूमि का वितरण।

संख्या एफ. ६ (८४) बी। रेवे २। ५३:—सरकार यह आज्ञा देती है कि "रूल्स एण्ड प्रोसीजर फोर एलोटमेन्ट ऑफ अन ऑकुपाइड एग्रीकल्चर लेण्ड्स" जो राजस्थान राज-पत्र दिनांक २६ दिसम्बर, सन् १९५३ में प्रकाशित किये गये थे, के रूल्स ७ (३) को गाडोलिया लुहारों को भूमियों के वितरण के संबंध में इस सीमा तक हल्का कर दिया जाय कि जिससे लुहारों से उनके वितरण के प्रथम दो वर्षों में कोई लगान नहीं लिया जाय और तत्पश्चात् उनको पूर्ण लगान देना पड़े।

परन्तु शर्त यह है कि यदि कोई वितरण पाने वाला व्यक्ति अपनी भूमि को किसी काश्तकार शिकमी को काश्त पर उठाता है तो वितरण बिना किसी क्षतिपूर्ति दिये शीघ्र ही निरस्त किये जाने योग्य होगा और उस व्यक्ति से संपूर्ण लगान वसूल किया जायगा।

श्रीमन् राजप्रमुख की आज्ञा से,
पशुपतिनाथ कौल,
शासन सचिव।

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 7, 1955.

Miscellaneous No. F. 39(2) *For./55.*—In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951, the Rajpramukh is pleased to declare the following areas the boundaries of which are described in Schedule A attached hereto, as Reserved Areas wherein it shall be unlawful to hunt, shoot, net, trap, snare, capture or kill any kind of wild animals and birds at any time of the year.

(1) Jaisamand. (2) Sawai Madhopur. (3) Sariska. (4) Darrah. (5) Dholpur (Ramsagar, Ban Bihar and Kesarbagh).

SCHEDULE A.

Jal Samand.   East :—Gandhi village and Jaisamand Bund.
West :—Jadiana and Piladhar village.
North :—Nandvi, Advas, Guda, Dayana and Juni Jhari villages.

ANNEXURE-6

Appendix - C

Boundaries notified by the Govt.of Rajasthan

OF JAISAMAND WILDLIFE SANCTUARY

(ABSTRACT COPY)

FOREST DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, November 7, 1955

Miscellaneous No.F.39(2) For.1955. - In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951, the Rajpramukh is pleased to declare the following areas the boundaries of which are described in Schedule "A" attached hereto, as Reserved Areas wherein it shall be unlawful to hunt, shoot not trap, snare, capture or kill any kind of wild animals and birds at any time of the year.

(1) Jaisamand, (2) Sawai Madhopur, (3) Sariska, (4) Darrah, (5) Dholpur (Ramsagar, Ban Bihar and Kesarbagh).

SCHEDULE

Jaisamand	East	- Gandhi village and Jaisamand Bund.
	West	- Jadiana and Piladhar village.
	North	- Nandvi Advas, Guda, Dayana and Juni Jhari villages.
	South	- Chanda-ji-ka-Gura, and Nohudi, Bambuda, Ghator, Veerpur and Ghatpur villages.
Sawai Madhopur	East	- Sawai Madhopur-Khandar Road
	West	- Mor Doongri and Mansarowar
	North	- Chindali Forests
	South	- Gosadan, Indala.
Sariska	East	- Kalighat-Tehla Road
	West	- Thana Gazi, Amra-ka-Bas, Mala Dohar
	North	- Indok, Karna-ka-Bas Protected Zamindar Forests
	South	- Dabkah, Reserved Forests.
Darrah	East	- The Ahu and Kali Sindh rivers.
	West	- The Chambal river
	North	- The Mukandwara hill range from the Kalisindh rivers, along Kalipura, Chand baori, Baontha and Molso villages.
	South	- The Mukandwara hill range from the Chambal to the Kalisindh along Ghantoli & Ghati Jagini villages.

By Order
P.N.KAUL,
Secretary to the Government